

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी
की समतल जारी होकर पत्रावली
वास्ते जवाब दिनांक 11/03/22 को
पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चितीड़गढ़)

03/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। परोक्ष सरकार
खम उपस्थित। परोक्ष सरकार का जवाब अप्रार्थी। पत्रावली
वास्ते जवाब परोक्ष सरकार दिनांक 03/03/2022 को पेश हो।

उपखंड अधिकारी
रावतभाटा (चितीड़गढ़)

23-03-2022

03/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी
परोक्ष सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो प्र.पत्र
धारा 128 पर No-objection प्रस्तुत किया। अधिवक्ता
प्रार्थी को प्र.पत्र धारा 128 पर बटस सूची। पत्रावली
पर भवन किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा No-
objection प्रस्तुत करने से पत्रावली वास्ते आदेश
प्र.पत्र धारा 128 दिनांक 28/03/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चितीड़गढ़)

03/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व परोक्ष
सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र धारा - 128
का बटस सूची प्रस्तुत करने का अवलोकन कर
गठनता से मंजूर किया गया। पत्रावली में
शामिल जमावती संख्या 2076-79 में रावतभाटा

नाम राजनीश्वर शिवाजी

नारु पुत्र हेमा हे जबलि प्राणी पन्दा ने प्राण
 प्रस्तुत किया है तथा प्राण में शामिल फन्तोंके
 में नारु का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
 पन्दा प्राणी है जो नारु का पुत्र है लिंगु उमी
 नामान्तकरण नहीं खुलने से प्राणी पन्दा का व्रत
 जभावन्दी में स्वतन्त्र के रूप में दर्ज नहीं है।
 जभावन्दी में स्वतन्त्र नारु है जो जैत लेखका
 है अतः प्राणी उक्त भूमि जो प्राण धारा-128
 में डीप्लोमेट में है का स्वतन्त्र नहीं है। इसलिए
 प्राण धारा-128 का पत्थरगदी डिप्लोमेट का
 रजिस्ट्रार प्रोग्राम नहीं पाये जाते से वही पत्थर
 पर स्वारीज किया जाता है पत्रावली फेल्ल
 शुमार लेखक दर्ज रजिस्ट्रार से नम्बर से
 कम से जाकर शामिल फन्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)